हिन्दी अनुभाग

निरीक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड का एक संबद्ध कार्यालय है। संविधान एवं राजभाषा नियमावली की आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक उपनिदेशक (राजभाषा), एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ अनुवादक तथा दो कनिष्ठ अनुवादकों के साथ एक हिन्दी अनुभाग की स्थापना की गई है जो निरीक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कार्यरत है तथा मंत्रालय तथा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बीच समन्वय हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है-

मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं-

- निरीक्षण महानिदेशालय का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद का समस्त कार्य इसमें साधारण आदेश, अधिसूचनाएँ, परिपत्र, रिपोर्ट इत्यादि शामिल है।

- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में तिमाही बैठकों में उपस्थित होना तथा मुख्यालय और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के फील्ड कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना।

- महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करना जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन नीति की स्थिति तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाती है, समिति में लिए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का जायजा भी लिया जाता है। समिति की बैठक में प्रस्तुत प्रगति का अवलोकन करना।

- अपना दैनिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु हिन्दी कार्यशालायों का आयोजन करना।

- हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों/स्टाफ सदस्यों को नामित करना।

- हिन्दी टिप्पण/हिन्दी आलेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष वार्षिक समारोह में पुरस्कार देना । कार्यालय में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन करना जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे हिन्दी टिप्पण- आलेखन, हिन्दी निबंध हिन्दी अत्यांक्षरी एवं हिन्दी कविता पाठ आदि का आयोजन करना । इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को समापन पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार एवं नकद पुरस्कार देना । इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना ।

- निरीक्षण महानिदेशालय को राजभाषा नियमावली के नियम १०(४) के अधिसूचित किया गया है तथा इसके चार अनुभाग यथा प्रशासन, लेखा, सतर्कता एवं नेपाल वापसी शाखाओं को राजभाषा नियमावली के नियम ८(४) के अधीन अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ।

- निरीक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क के लगभग सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को समय-समय पर सहायक निदेशक (राजभाषा) व उप निदेशक (राजभाषा) के माध्यम से महानिदेशक/अपर महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी कार्य पर लगातार निगरानी एवं दृष्टि के परिणामस्वरूप निरीक्षण महानिदेशालय कार्यालय में हिन्दी में हुई प्रगति को वित्त मंत्रालय द्वारा सराहा गया है एवं हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष १९९८, १९९९ एवं २००० में वित्त मंत्री, श्री यशवंत सिन्हा द्वारा इस कार्यालय को राजभाषा शील्ड प्रदान की है ।

- यह महानिदेशालय संसदीय राजभाषा समिति की केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाली निरीक्षण बैठकों में प्रतिनिधित्व करता है ।

<u>निष्पादित किए गए हिन्दी कार्य</u>

केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड के सम्बद्ध/अधीनस्थ अथवा आयुक्तालयों के साथ निष्पादित कार्य -

संघ सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में निरीक्षण महानिदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से संबंधित प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालयों से तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा करता है । राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की वास्तविकता एवं वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से निरीक्षण महानिदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क आयुक्तालयों, निदेशालयों, मंडलों आदि का राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों एवं लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण करता है । वर्ष २००८ से निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा राजभाषा निरीक्षण के दौरान निरीक्षणाधीन कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुखों एवं अन्य प्रभारियों को राजभाषा संबंधी प्रावधानों से अवगत कराने एवं अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

यह कार्यालय फील्ड कार्यालयों के अनुरोध पर हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता भी प्रदान करता है। हिन्दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु विविध सूचनात्मक, शैक्षिक व मनोरंजक नाटकों का मंचन किया जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, सृजनात्मक कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है।

हिन्दी प्रचार तथा प्रयोग को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे समारोहों में विभाग के अन्य महानिदेशालयों को शामिल किया जाता है । हिन्दी के प्रयोग तथा प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए निरीक्षण महानिदेशालय तथा फील्ड कार्यालयों में प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है।

निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण बैठकों के आयोजन को सुगम बनाने के अति महत्वपूर्ण कार्य में समग्र सहायता प्रदान करता है। प्रश्नावलियों का अग्रेषण तथा पत्राचार का कार्य इस विषय का उल्लेखनीय भाग है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आयोजित होने वाली इन सभी निरीक्षण बैठकों में निरीक्षण महानिदेशालय के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी में उनकी सृजनात्मक प्रतिभा प्रदर्शन के लिए निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा विभागीय हिन्दी पत्रिका ''इंद्रप्रस्थ'' का भी प्रकाशन किया जाता है ।